न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31/2017

अपीलांट

आनंदराम पुत्र श्री पुखाराम जाति भाट, उम्र 60 वर्ष, निवासी रामसिया तहसील पाली जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा ग्राम रामासिया तहसील पाली के खसरा नंबर 53/6, 53/7 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतुं ग्राम रामासिया के खसरा नंबर 56 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी दोयम से रास्ता प्रदान कराने निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट ने उक्त रास्ता केवल सुविधा मात्र हेतु नही चाहा गया है। अपीलांट के खातेदारी में जोन को कोई विकल्प नहीं है। अपीलांट को उक्त रास्ता कृषि हेतु दिया जाना आवश्यक है। अपीलांट को उक्त रास्ता दिया जाने पर गैर कृषि कार्य उपयोग नहीं हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक पाली ने जांच कर जांच प्रतिवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत किया उसमें स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलांट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने 251 के प्रावधानो को ध्यान में न रखते हुए केवल मात्र अपीलांट की आराजी तरमीम न होने का हवाला देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो पर प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा ग्राम रामासिया तहसील पाली के खसरा नंबर 53/6, 53/7 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतुं ग्राम रामासिया के खसरा नंबर 56 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी दोयम से रास्ता प्रदान कराने निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट की खातेदारी भूमि की राजस्व नक्शा में तरमीम नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने खसरा नंबर 56 में से अपनी खातेदारी आराजी में जाने हेतु रास्ता बताया है, किन्तु वर्तमान में रास्ते संबधी कोई निशानात नहीं है। मोके पर बाड कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसका इन्द्राज पटवारी के पास उपलब्ध पी–14 में रामसिंह पुत्र गिरधारीसिंह कौम राजपूत का 0.05 बीघा पर बेरा मय बाड अतिक्रमण दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त बिन्दुओ पर गौर करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा ग्राम रामासिया तहसील पाली के खसरा नंबर 53/6, 53/7 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतुं ग्राम रामासिया के खसरा नंबर 56 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी दोयम से रास्ता प्रदान कराने निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू. अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि अपीलांट आनंदराम पुखा जाति भाट साकिन रामासिया की ग्राम रामासिया के खसरा नंबर 53/6 व 53/87 कुल रकबा 20 बीघा खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। प्रार्थी के खसरा नंबर 53/6 व 53/7 की पटवारी हल्का के पास नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ग्राम रामसिया के खसरा नंबर 44 किस्म गै.मु. नहर पर बने कच्चे रास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से खसरा नंबर 56 रकबा 2.02 बीघा किस्म बारानी दोयम सिवायचक भूमि से अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु रास्ता चाहता है। प्रार्थी पूर्व में खसरा नंबर 56 में से अपनी खातेदारी में जाना बताया मौके पर वर्तमान में रास्ते संबधी कोई निशानात नहीं है। मौक पर बाडा कर अतिक्रमण किया हुआ है।" इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट को पहले अपनी खातेदारी भूमि का राजस्व नक्शा में अंकन करवाने की कार्यवाही करे उसके अभाव में अपीलांट को रास्ता हेतु भूमि दिया जाना संभव नहीं होना अंकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली